द्वितीय अनुस्मारक

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
(जनपद--झांसी/जालौन/ललितपुर/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर/महोबा को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 423 /सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2019-20, दिनांक 02.07.2019

विषयः- **पशुपालन विभाग, उ0प्र0 में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें(राज्य योजना) अन्तर्गत सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम् से कार्यरत वाहन चालकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की धनराशि के जमा करने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-361/सा0-एक /एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2018-19, दिनांक 09.06.2018 एवं पत्र संख्या-1575/ सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2018-19, दिनांक 31.01.2019 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें-योजना में आउटसोर्सिग द्वारा सेवा प्रदाता फर्मो के माध्यम् से वाहन चालकों की व्यवस्था अन्तर्गत निर्देशित किया गया है कि विगत समय में योजना के वाहनों के परिचालन के लिये आऊटसोर्सिग के माध्यम् से जो वाहन चालक लगाये गये है, उनके ***ई0पी0एफ0/ ई0एस0आई0*** आदि का भुगतान सम्बन्धित आऊटसोर्सिग एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं? यदि नहीं किया गया है? तो ऐसी समस्त आऊटसोर्सिग एजेन्सी को नोटिस देते हुये उनका कार्य समाप्त करने एवं काली सूची में डालने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये। साथ ही निर्देशित किया गया है कि प्रकरण की वस्तुस्थिति एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को दो दिन के अन्दर निदेशालय को अवगत कराया जाय, परन्तु खेद का विषय है कि आपकी शासकीय कार्यो के निष्पादन के प्रति उदासीनता के कारण उक्त वांछित सूचना अबतक अधोहस्ताक्षरी को नहीं उपलब्ध करायी गई है।

सन्दर्भ में अवगत कराना है कि योजना अन्तर्गत सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम् से वाहन चालकों की व्यस्था हेतु निविदा आमंत्रित करने हेतु विधिक दृष्टि से परीक्षण किये गये एवं निदेशालय द्वारा जनपदों को उपलब्ध कराये गये मॉडल निविदा-प्रपत्र के प्रस्तर-7-आऊट सोर्सिग एजेंसी से मैनपावर की आपूर्ति हेतु कार्यक्षेत्र, नियम एवं शर्ते, के बिन्दु-5 में विनिर्दिष्टित है कि सेवा प्रदाता फर्म/संस्था को वाहन चालकों की सेवाओं के सापेक्ष पशुपालन विभाग द्वारा वैधानिक दायित्वों यथा-पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं सेवाकर आदि के अन्तर्गत भुगतान की गई धनराशि को सम्बन्धित

सरकारी खाते में नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा तथा जमा की गई धनराशि के रसीद की स्वप्रमाणित प्रति एवं तत्सापेक्ष समय-समय पर दाखिल रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति भी मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद-------- को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें(राज्य योजना)-योजना के वाहनों के परिचालन हेतु आऊटसोर्सिंग के माध्यम् से जो वाहन चालक विगत वर्षो में लगाये गये है, उनके ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 आदि का आऊट सोर्सिंग एजेन्सी द्वारा नियमित भुगतान किये गये से सम्बन्धित साक्ष्य सहित प्रमाण-पत्र एजेन्सी से प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को ***एक सप्ताह के भीतर*** उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। अन्यथा कि स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि आपके स्तर से वाहन चालकों के ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 आदि की धनराशि उनके सम्बन्धित खाते में जमा किये जाने का संज्ञान लिये बिना ही उनके मासिक पारिश्रमिक का भुगतान सेवा प्रदाता फर्म को किया गया है। इस प्रकार की स्थिति होने पर आपके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 यू0 पी0 सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक /सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2019-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि,

प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 यू0 पी0 सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।